



लैंगिक बजट: एक कारगर पहल

चर्चा में क्यों है?

हाल ही में, महाराष्ट्र सरकार ने 'लैंगिक बजट' प्रस्तावति करने की घोषणा की ताकियह सुनशिचति किया जा सके कलिंगि-नरिपेक्ष योजनाओं का 50 प्रतशित लाभ महलियों तक पहुँचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में सरकारों से अपील की कलिंगिक भेदभाव को कम करने की दिशा में वे बजट में महलियों को लाभ पहुँचाने वाले वित्तीय प्रावधान शामिल करें। ऐसा उनके एक अध्ययन के आधार पर कहा गया जिसमें यह पता चला था कि केन्द्रीय और राज्य बजटों की वित्तीय नीतियों ने लगि समानता की दिशा में सुधार किया है।

लैंगिक बजटीकरण क्या है?

- लैंगिक बजटीकरण का सम्बन्ध लगि-संवेदी विधि नरिमाण, योजनाओं और कार्यक्रमों, संसाधनों के आवंटन, कार्यान्वयन और निषिपादन, योजनाओं और कार्यक्रमों के लेखा परीक्षण और प्रभाव मूलयांकन तथा लैंगिक असमानताओं को कम करने के लिये आगे की सुधारात्मक कार्यवाही से है।
- लैंगिक समानता को मुख्यधारा में लाने के लिये एक शक्तिशाली साधन है ताकि विकास के लाभ को महलियों तक भी उतने अनुपात में पहुँचाया जाना सुनशिचति किया जा सके जितना पुरुषों के लिये पहुँचता है।
- इसके लिये अलग से बजट बनाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि महलियों की विशेष जरूरतों का ध्यान रखते हुए सकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा करता है, व्यय और सामुदायिक सेवाओं को लैंगिक दृष्टिकोण से निरीक्षित करता है।
- सरकारी बजट के विधेदन को आवश्यक बनाकर उसके लगि वरिष्ठक प्रभावों को स्थापित करना और यह सुनशिचति करना कलिंगिक स्वीकार्यताओं को बजट स्वीकार्यताओं में तबदील किया जा सके।

लैंगिक बजट के लिये पाँच-चरणीय फ्रेमवरक

- चरण 1: कर्सी कषेत्र विशेष में महलियों और पुरुषों तथा लड़कियों और लड़कों (और वभिन्न उपवर्गों) के लिये स्थितिका आकलन।
- चरण 2: कषेत्र विशेष की नीतियाँ लैंगिक मुद्दों और पहले चरण में उल्लिखित भेदभाव को कसि हद तक संबोधित करती हैं।
- चरण 3: चरण 2 में पहचानी गई लगि-संवेदी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रयान्वयन के लिये बजट आवंटनों की प्रयापत्ता का आकलन।
- चरण 4: इसका नरीक्षण किधिन नयोजिति तरीके से ही व्यय हुआ या नहीं, और कौन-से लाभ कसि तक पहुँचे।
- चरण 5: नीतिकार्यक्रम/योजना के प्रभाव का आकलन और इसकी विचना किचरण 1 में विवरति की गई स्थिति में कसि हद तक बदलाव हुआ।

भारत में लैंगिक बजटीकरण

- लैंगिक बजट अभवियक्ति(GBS) को पहली बार 2005-06 के भारतीय बजट में प्रस्तावति किया गया था। इस लैंगिक बजट अभवियक्ति के दो हसिसे हैं-
- भाग 'अ' में नारी-विशेष योजनाएँ हैं, अरथात् वे योजनाएँ जिनमें महलियों के लिये 100 प्रतशित राशि आवंटति की गई हो,
- भाग 'ब' में महलियों के लाभ की योजनाएँ हैं, अरथात् वे योजनाएँ जिनमें कम-से-कम 30 प्रतशित आवंटन महलियों के लिये हो।
- भारत के लैंगिक बजट के प्रयास वशिव स्तर पर अलग हटकर दखिते हैं क्योंकि उन्होंने न सरिफ व्यय को बल्कि राजस्व नीतियों को भी प्रभावति किया है (जैसे पुरुषों और महलियों के लिये संपत्ति कर की अलग-अलग दरें और आयकर संरचना पर पुनर्विचार) और लैंगिक बजट राज्य सरकारों के स्तर तक पहुँच गए हैं।
- भारत में लैंगिक बजट के प्रयास चार आनुक्रमकि प्रावस्थाओं से मलिकर बने हैं: (A) ज्ञानारजन और नेटवरक नरिमाण, (B) प्रक्रया को संस्थागत बनाना, (C) कषमता-सर्जन और (D) जवाबदेही को बढ़ाना।
- भारत में लैंगिक बजट महज लेखा-जोखा क्रयिकलाप तक सीमित नहीं है। लैंगिक बजटीकरण फ्रेमवरक ने लगि-नरिपेक्ष मंत्रालयों को महलियों के लिये नए कार्यक्रम चलाने में मदद की है।
- सभी मंत्रालयों में एक संस्थागत क्रयिवधि के रूप में लैंगिक बजटीकरण प्रकोष्ठ की अवस्थापना अनविार्य कर दी गई है।
- लैंगिक बजटीकरण प्रकोष्ठ के कार्यों में लगि आधारति प्रभाव आकलन, लाभार्थी की आवश्यकताओं का आकलन और लाभार्थी व्यापकता आकलन हैं जिनका उद्देश्य सरकारी व्यय को पुनः प्राथमिकता देने के अवसर की पहचान करना और क्रयान्वयन में सुधार करना है।

कमयाँ

- न सरिफ केंद्रीय बजट के कुल व्यय में लैंगिक बजट का आनुपातकि हसिसा कम हुआ है, बल्कि लैंगिक समानता और महलि सशक्तीकरण को

प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं के लिये बजटीय आवंटन में भी गरिवट आई है। 'बड़े बजट' की बहुत कम ऐसी योजनाएँ हैं जो महलिया एवं बाल वकास मंत्रालय (MWCD) द्वारा विशेष तौर पर महलियाओं के लिये चलाई जा रही हैं, जैसे 'नरिभया कोष' और 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान।

- लैंगिक बजटीकरण प्रक्रोष्टों द्वारा चहिनति कथि गए हस्तक्षेपों को लागू करने के लिये जरूरी समर्पति मानव संसाधनों की कमी।
- लैंगिक उत्तरदायी बजटीकरण (GRB) कार्य में नरीक्षण सबसे कमजोर कड़ी के रूप में अब भी बरकरार है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर नरीक्षण करने के लिये कोई नरिदृष्टि क्रियावधि भौजूद नहीं है।

आगे की दिशा

- भारत में लैंगिक उत्तरदायी बजटीकरण के आकलन से मलिली-जुली तस्वीर बनती है।
- बहुत से सकारात्मक बदलाव आए हैं जैसे चुननिदा योजना और बजट प्रक्रियाओं में प्रविरतन तथा लैंगिक बजट प्रक्रोष्टों की स्थापना।
- हालाँकि, लैंगिक बजट की सीमति पहुँच और लैंगिक एजेंडा के लिये स्थिरि या कम होते आवंटन चतिनीय विषय हैं।